



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-04.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2019 धारा 302 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल मौर्य पुत्र हरिशचन्द्र मौर्य निवासी भगतपुर बाई पास रोड थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-04.07.2024 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अनिल मौर्य उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 में सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।